एक अप्रैल से निजी स्कूलों में भी 25 फीसदी स्थान गरीबों को

प्रशासनिक संवाददाता | भोपाल

मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में एक अप्रैल से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो जाएगा। इसमें 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य तौर पर शिक्षा देने के लिए स्कूलों में भर्ती किया जाएगा। कानून के तहत निजी स्कूलों में भी 25 प्रतिशत स्थान गरीब वर्ग के बच्चों के लिए रखना जरूरी होगा।

राज्य के मुख्य सचिव अवनि वैश्य ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि वे इस एक्ट पर अमल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आपको यह सौभाग्य मिला है, जब आप शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। श्री वैश्य ने कहा कि निर्धारित मापदंड के अनुसार शिक्षकों की पूर्ति के लिए युक्तिकरण एवं भर्ती की कार्यवाही 30 जून तक पूरी कर ली जाए। सभी शिक्षकों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त करें। चुनाव तथा जनगणना के अलावा शिक्षकों का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्य में ही किया जाए।